



राज्यसु अपील प्राधिकारी, पाँजी
 (सू० बजरासिंह चौहान)

प्राणी

18

कर खले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 18.12.17

निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय दिनांक 09.03.2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2017 को यथावत रखा जाता है। इस

2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाँजी द्वारा राजसु अपील संख्या 24/2017 में पारित

है तथा तहसीलदार सुंमरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 868/2016 में पारित आदेश दिनांक 27.12.

परिणाम स्वकृप अपीलापट्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती

आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की रूटी नहीं पाई जाती है।

राजस्थान में राजसु अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील

में पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अपीलापट्ट के विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

प्रस्तुत किया। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलापट्ट द्वारा राजकीय

सम्पत्तियों से उपस्थित ही नहीं हुआ तथा न ही किसी प्रकार से जवाब अथवा दस्तावेज आदि

करने का समर्थित अवसर प्रदान किया था, किन्तु अपीलापट्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष

स्थित कारावास से दण्डित किया। अपीलापट्ट को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत

अपीलापट्ट को उक्त में बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रम मानते हुए तीन माह के

का अवसर दिये जाने के पश्चात जैर अपील आदेश के जारिये अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

सदस्य से तामील करवाया गया है, जिस विधिवत तामील मानते हुए चार बार पक्ष प्रस्तुत करने

की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलापट्ट के कर्तव्य के

धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 16.09.2016 को तारीख पेशी नियत

कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार सुंमरपुर द्वारा राजस्थान में राजसु अधिनियम 1956 की

आधय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि छोटसिंह पुत्र जबरसिंह कौम राजपूत द्वारा उपरोक्त में पर

में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का खिवान्दी द्वारा तहसीलदार सुंमरपुर के समक्ष इस

खिवान्दी के खसरा नम्बर 847 रकबा 0.04 हैक्टयर किस्म गौमो माखर की में राजसु रेकॉर्ड

किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम

उभयपक्ष अभिमाषकगण की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन

आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलापट्ट की अपील खारिज करावे।

गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों का दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील

के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रकिया अपनते हुए की

चौकि अपीलापट्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने

अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किया गया है।

में पर अपीलापट्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलापट्ट के विरुद्ध राजस्थान में राजसु

नम्बर 847 रकबा 0.04 हैक्टयर किस्म गौमो माखर की में राजसु रेकॉर्ड में दर्ज है। उक्त

सरकारी पुरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खिवान्दी के खसरा

पारित जैर अपील आदेश को अपारत करावे।

की परिस्थितियों का दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करावे एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

व्यक्त है, जिस निरुद्ध रखा जाता है, तो उसके परिवार की दृष्टिगत हो जायेगी। अतः प्रकरण

व्यहित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलापट्ट अपने परिवार में कमाने वाला अकेला

प्रकिया की कोई समीक्षा नहीं की तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय बदल रखा। इससे